Block No. 15 Dev Nagar. The Duty Officer informed the officer on Emergency Duty who went to verify the information at the given address. The officer on Emergency Duty was not aware that the case had already been sent for cancellation as the investigation had been carried out by the Special Staff. The couple was brought to the police station. The Police were informed about the orders of the High Court. After making enquiries from the Special Staff who were entrusted with the investigation of the case, the couple was allowed to go. The police has reported that they had no vested interest in the case and were acting in a bona-fide manner.

Boundary Dispute between Maharashtra and Karnataka

2827. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to find out a solution to the long pending dispute of Maharashtra-Karnataka boundary;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) The Government is of the view that this dispute has to be resolved by the two State Governments, through bilateral discussions with a spirit of mutual accommodation. The Central Government is willing to extend all possible assistance to the two States in achieving this goal.

सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को रेगिस्तान भत्ता प्रदान किया जाना

2828. **श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेगिस्तानों में तैनात सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को 100 रुपये प्रतिमाह का रेगिस्तान भत्ता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य की आवश्यकताओं, अपेक्षित कार्य कौशलता, इत्यादि तथा वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के वेतन और भत्तों का समय-समय पर निर्धारण किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश को मुआवजा

2829. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित किए गए थे, यदि हां, तो क्या भारत सरकार का हिमाचल प्रदेश को, उसके द्वारा 1966 से पूर्व भवनों के निर्माण और चण्डीगढ़ क्षेत्र के विकास पर खर्च की गई राशि के अनुपात में कुछ धन राशि देने का इरादा है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) से (ग) वर्ष 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस राज्य के कुछ भागों का स्थानान्तरण पहले केन्द्र शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को कर दिया गया था। भारत सरकार का यह विचार है कि चण्डीगढ़ पर विवाद मूलतः पंजाब और हरियाणा के प्रादेशिक दावों के कारण उत्पन्न हुआ है न कि चण्डीगढ़ में सरकारी सम्पत्ति को बांटने पर। अतः हिमाचल प्रदेश को एक अनुपातिक भाग अथवा इस बारे में किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार को पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।